न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–98/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/98)

1. बालूराम पुत्र स्व0 सावलराम जाति ब्राहमण पारिक जरिए मुख्तयारआम राजेन्द्र कुमार पुत्र ईश्वरलाल जाति जाट निवासी–मौखपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. नितिन पारिक पुत्र गिरिश (रामकन्या)
2. पूजा पारिक पुत्री गिरिश (रामकन्या)
   दोनों जाति पारिक निवासी–86, बृजमण्डल कॉलोनी, जोशी मार्ग के सामने, झोटवाडा जयपुर।
3. अशोक पारिक दत्तक पुत्र छोटू उर्फ महेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
4. शिवदयाल पुत्र स्व0 भूरामल जाति ब्राहम्ण पारिक निवासी–बिचून हाल प्लॉट नं0 1 बैंक कॉलोनी, बक्शी हेमराज की गली, पानो का दरीबा, जयपुर।
5. सुरेश
6. कमलेश
7. नरेन्द्र कुमार
   पुत्रगण हनुमान प्रसाद जाति ब्राहम्ण पारिक निवासी–बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू जिला जयपुर, राजस्व वाद संख्या 147/2016</u>

उपस्थितः–

1. श्री अजीत सिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरदत्त सारण अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री वैभव पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
4. श्री हनुमान प्रसाद अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 08 व 09
6. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–30.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 147/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 नारायण के वारिस सुगनीदेवी, रामकन्या व अशोक दत्तक पुत्र छोटू ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 22.3.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता बलवंत चौधरी द्वारा वकालतनामा व इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा हाल अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 5 की तलबी पूर्ण हुए बगैर व उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए बगैर दिनांक 27.6.2017 को वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिसके पश्चात दिनांक 15.1.2019 को प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 147/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.01.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र वास्ते नई अपील प्रस्तुती की इजाजत बाबत पेश कर कथन किया कि बरवक्त प्रस्तुती उक्त अपील पक्षकार एवं उनके मुख्तयारआम अभिभाषक के समक्ष प्रकरण के सभी तथ्यों को अपूर्ण वार्तालाप के कारण स्पष्ट नहीं कर पाए जिससे उक्त अपील में कई महत्वपूर्ण तथ्यों एवं कानूनी बिंदुओं को अंकित किया जाना सहवन की त्रुटिवश रह गया है जिससे मीमो ऑफ अपील में कई महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे न्यायालय को उभयपक्षकारान को पूर्ण न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी अंकित किए जाने से रह गए। नई अपील प्रस्तुत किए जाने की इजाजत प्रदान करने पर उभयपक्षकारान को पूर्ण न्याय प्राप्त होगा जिससे न्यायहित में उक्त अपील को निस्तारित कर न्यायालय के समक्ष नई अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदान की जाना न्यायोचित है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलांट को लौटाकर उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत फोटो प्रतियों को उक्त अपील में रखी जाने का आदेश भी प्रदान किया जाना न्यायोचित है जिससे न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ अपीलांट न्यायालय के समक्ष नई अपील समय पर प्रस्तुत कर सके। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर उक्त उनवानी अपील अपीलांट को नई अपील प्रस्तुती की इजाजत के साथ निस्तारित फरमाने का आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 02 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 04 शिवदयाल पुत्र श्री भूरामल को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत की गई है, जिसकी मृत्यु अपील प्रस्तुती के पूर्व ही हो चुकी थी, जिससे मृतक के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जावें। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.08.2023 के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही उनके द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 भी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त अपील मुख्त्यारग्रहीता राजेन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके संलग्न प्रस्तुत मुख्यत्यारनामा ग्राम बिचून की आराजीयात बाबत है, जबकि विवादित भूमि ग्राम सीतारामपुरा में अवस्थित है, जिससे भी अपील संधारण योग्य नही होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निरस्त करने का कथन किया एवं जवाब मियाद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपील मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। जिसके सलग्न शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अभिभाषक महोदय के हस्ताक्षर नहीं है एवं तस्दीकशुदा भी नहीं है। इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुतकर रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को मृत्यु उपरांत पक्षकार बनाकर अपील प्रस्तुत करने से तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर अपील मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शिवदयाल पुत्र भूरामल प्राथमिक आज्ञप्ति एवं अंतिम आज्ञप्ति में यथावत पक्षकार मुर्तिब है तथा हाल जमाबंदी में भी शिवदयाल का नाम दर्ज है तथा पारिवारिक सजरे अनुसार भी शिवदयाल आवश्यक पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाया गया है, श्री शिवदयाल की मृत्यु बाबत कोई जानकारी मुखत्यारआम अपीलांट को नहीं थी ना ही किसी पक्ष द्वारा मुखत्यारआम को जानकारी दी गई। जिससे अपीलांट द्वारा जानबूझकर मृतक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जहां तक विवादित भूमि ग्राम सीतारामपुरा में अवस्थित होकर मुखत्याराआम ग्राम बिचून की भूमि बाबत होने से अपील निरस्त करने का कथन किया गया है, जो कतई गलत होना निवेदन किया गया एवं यह भी निवेदन किया गया है कि ग्राम सीतारामपुरा मौजा होकर तन बिचून का ग्राम रहा है जो बाद में रेवेन्यू विलेज हुआ है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत ग्राम सीतारामपुरा का मुखत्यारानामा भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना निवेदन किया गया है, जिससे अपील संधारण योग्य बताया है एवं अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र पर निवेदन करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट की तामील विधिक रूप से पूर्ण नहीं करवायी गयी है तथा तामील पूर्ण हुए बगैर ही प्राथमिक एवं अंतिम आज्ञप्तियां जारी कर दी गई है जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही थी जब दिनांक 03.03.2023 को अपीलांट अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 मौके पर आये और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, जिसका अपीलांट द्वारा ऐतराज करने पर प्राथमिक एवं अंतिम आज्ञप्ति जारी होकर अपीलांट की काश्त की जा रही भूमि बंटवारें में रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आना बताया है तब अविलम्ब अभिभाषक महोदय से दूदू जाकर सम्पर्क किया गया जिन्होने दिनांक 10.03.2023 को निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 13.03.2023 को उन्हे नकले प्राप्त हुई तत्पश्चात अन्य दस्तावेजात की नकले भी साथ ही प्राप्त कर अविलम्ब हीं दिनांक 13.03.2023 को न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई, इस प्रकार जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा तकनीकी आधार पर प्रकरण निरस्त नहीं करना चाहिए है तथा गुणावगुण पर प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में साबित है अतः में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. अभिभाषक अपीलांट द्वारा नई अपील प्रस्तुती की इजाजत के साथ उक्त अपील निर्णित करने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बरवक्त प्रस्तुती उक्त अपील पक्षकार एवं उनके मुख्तयारआम अभिभाषक के समक्ष प्रकरण के सभी तथ्यों को अपूर्ण वार्तालाप के कारण स्पष्ट नहीं कर पाए जिससे उक्त अपील में कई महत्वपूर्ण तथ्यों

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

एवं कानूनी बिंदुओं को अंकित किया जाना सहवन की त्रुटिवश रह गया है जिससे मीमो ऑफ अपील में कई महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे न्यायालय को उभयपक्षकारान को पूर्ण न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी अंकित किए जाने से रह गए। नई अपील प्रस्तुत किए जाने की इजाजत प्रदान करने पर उभयपक्षकारान को पूर्ण न्याय प्राप्त होगा जिससे न्यायहित में उक्त अपील को निस्तारित कर न्यायालय के समक्ष नई अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदान की जाना न्यायोचित है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलांट को लौटाकर उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत फोटो प्रतियों को उक्त अपील में रखी जाने का आदेश भी प्रदान किया जाना न्यायोचित है जिससे न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ अपीलांट न्यायालय के समक्ष नई अपील समय पर प्रस्तुत कर सके। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर उक्त उनवानी अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर अपीलांट को नई अपील प्रस्तुती की इजाजत के साथ उक्त अपील निस्तारित फरमाने का आदेश प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में आर0आर0डी 2009 पेज 828, 2009 आर0आर0डी पेज 828, 2007 आर0एल0डब्लू आर0जे0 पेज 98, 2003 आर0आर0टी0 पार्ट 1 पेज संख्या 173 (एस0सी0), 1963 आइ0एल0आर0 राज0 पेज संख्या 826, 2017 आर0बी0जे0 पेज 321, 2011 आर0बी0जे0 पेज 593, 2012 आर0आर0टी0 पार्ट 2 पेज 1289, 2019 आर0आर0डी0 पेज संख्या 236, 2013 आर0बी0जे0 पेज संख्या 314 (एच0सी0) 2006 डब्लू0एल0सी0 (सिविल)(एस0सी0) पार्ट 1 पेज संख्या 676, 2010 आर0बी0जे0 पेज संख्या 370, 2008 आर0आर0टी0 पार्ट 2 पेज 825 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते नई अपील प्रस्तुत करने बाबत दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 जिस तरह अंकित किया गया है वह पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.6.2017 को जारी की गई एवं जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 13.3.2023 को न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो कि पूर्णतया मियादबाहर है एवं अपील मृतक व्यक्ति शिवदयाल पुत्र भूरामल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं मुख्तयारआम द्वारा वैसे भी अपील सक्षम नहीं है क्योंकि जिस भूमि बाबत मुख्तयारआम किया गया है वह भूमि के संबंध में अपील नहीं है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है एवं नई अपील प्रस्तुत करने की इजाजत अपीलांट को किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं की जा सकती है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 1988 एआईआर(दिल्ली)267 हाई कोर्ट, 2012(1) आरआरटी 189, 2007(1)आरएलडब्ल्यू(आरजे)100 हाई कोर्ट, 2024(4) 798 हाई कोर्ट।

9. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक एवं अंतिम आज्ञप्ति में रेस्पोडेन्ट सख्या 04 पक्षकार दर्ज है तथा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत जमाबंदी में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 शिवदयाल पुत्र भूरामल का नाम अंकित है जिससे प्रतीत होता है कि राजस्व रिकार्ड अपडेट नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में सद्भाविक त्रुटि हुई है। इस बाबत अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उद्वरणों का अवलोकन किया गया जिनके अनुसार उक्त त्रुटि विधिक त्रुटि नहीं होकर सद्भाविक त्रुटि होकर क्षमा किये जाने योग्य है एवं उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र में अंकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को तामील पूर्ण नहीं करवायी गई जिससे प्राथमिक व अंतिम निर्णय की जानकारी नहीं हो पायी है इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें वर्तमान अपीलांट को दिनांक 18.01.2017 को आगामी पेशी दिनांक 24.01.2017 के लिए नोटिस जारी किये गये जिस पर तामिल कुनिन्दा की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है तथा नोटिस की दोनो प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय के पृष्ठ संख्या 77 एवं 78 पर ही शामिल पत्रावली है तथा रजिस्टर्ड एडी की रसीदे पृष्ठसंख्या 68 पर शामिल पत्रावली है एडी प्राप्त नहीं हुई है तथा वर्तमान अपीलांट को जारी किये जाने के नोटिस की भी दोनो ही प्रति पत्रावली में ही मौजूद है, जिससे रजिस्टर्ड एडी जारी किया जाना भी विधिक रूप से संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 शिवदयाल पुत्र भूरामल द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके पृष्ठ संख्या 02 पर प्रतिवादी संख्या 01 शिवपाल अंकित है एवं सत्यापन कर्ता भी शिवपाल ही है, जबकि शपथ पत्र शिवदयाल का संलग्न है जो भी कतई संदेहास्पद है एवं इकबाली जवाब प्रस्तुतकर्ता की मृत्यु से अपील के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है जैसा कि आदेश 22 नियम 4(4) जा0दी0 में प्रावधित है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील अपीलांट को जानकारी के अभाव में उपरोक्त विवेचन के क्रम में अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10. उभयपक्ष अभिभाषकगण को अपील के गुणावगुण पर सुना गया लेकिन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते नई अपील प्रस्तुती की इजाजत के साथ निर्णित फरमाने उक्त अपील को गुणावगुण से पूर्व निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि बरवक्त प्रस्तुती उक्त अपील पक्षकार एवं उनके मुख्तयारआम अभिभाषक के समक्ष प्रकरण के सभी तथ्यों को अपूर्ण वार्तालाप के कारण स्पष्ट नहीं कर पाए जिससे उक्त अपील में कई महत्वपूर्ण तथ्यों एवं कानूनी बिंदुओं को अंकित किया जाना सहवन की त्रुटिवश रह गया है जिससे मीमो ऑफ अपील में कई महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे न्यायालय को उभयपक्षकारान को पूर्ण न्याय प्रदान करने में मदद मिलेगी अंकित किए जाने से रह गए। नई अपील प्रस्तुत किए जाने की इजाजत प्रदान करने पर उभयपक्षकारान को पूर्ण न्याय प्राप्त होगा जिससे न्यायहित में उक्त अपील को निस्तारित कर न्यायालय के समक्ष नई अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदान की जाना न्यायोचित है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलांट को लौटाकर उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत फोटो प्रतियों को उक्त अपील में रखी जाने का आदेश भी प्रदान किया जाना न्यायोचित है जिससे न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ अपीलांट न्यायालय के समक्ष नई अपील समय पर प्रस्तुत कर सके। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रदान करते हुए निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.6.2017 को जारी की गई एवं जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 13.3.2023 को न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो कि पूर्णतया मियादबाहर है एवं अपील मृतक व्यक्ति शिवदयाल पुत्र भूरामल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है एवं मुख्तयारआम द्वारा वैसे भी अपील सक्षम नहीं है क्योंकि जिस भूमि बाबत मुख्तयारआम किया गया है वह भूमि के संबंध में अपील नहीं है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है एवं नई अपील प्रस्तुत करने की इजाजत अपीलांट को किसी भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रकार से प्रदान नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया बाद अवलोकन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय यथा 2009 आर0आर0डी पेज 828 एवं 2007 आर0एल0डब्लू0 आर0जे0 पेज 98 प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है जिसमें स्पष्ट है कि पक्षकारान को पूर्ण न्याय प्रदान करने एवं अंतिम रूप से न्यायोचित निर्णय हेतु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को नई अपील प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिया जाना उचित है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट को नियमानुसार एक माह में नई अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

11. अतः उपरोक्त कारणों से अपील निर्णित की जाकर अपीलांट को नियमानुसार एक माह में नई अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है अपील में संलग्न दस्तावेजात कि प्रमाणित प्रतिलिपियां अपीलांट को लौटाई जावे तथा फोटो प्रतियों को अपील में रखे जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner